अति महत्वपूर्ण

संख्या- 2447-प्रो0/51-2023-20(28)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
7. समस्त अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल)/प्रभारी अधिकारी (प्रोटोकाल), उत्तर प्रदेश।
8. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।

प्रोटोकाल अनुभाग (मुख्य मंत्री कार्यालय) लखनऊ : दिनांक : 19 मई , 2023

विषय : **उत्तर प्रदेश में पधारने वाले राज्य अतिथियों के प्रवास व परिवहन इत्यादि पर होने वाले व्यय के देयकों के भुगतान हेतु नवसृजित ई-प्रोटोकाल पोर्टल (protocol.up.nic.in) के माध्यम से ही कार्यवाही किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में पधारने वाले राज्य अतिथियों के प्रवास व परिवहन इत्यादि पर होने वाले व्यय के देयकों का भुगतान ई-प्रोटोकाल पोर्टल (protocol.up.nic.in) के माध्यम से किए जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 5225-प्रो0/51-2022-20(28)/2019, दिनांक 15-11-2022 एवं शासनादेश संख्या- 5748-प्रो0/51-2022-20(28)/2019, दिनांक 16-12-2022 द्वारा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं, किन्तु जनपदों से उक्त देयकों के भुगतान हेतु प्रस्ताव ई-प्रोटोकाल पोर्टल (protocol.up.nic.in) के माध्यम से आन-लाइन न भेजकर आफ-लाइन ही भेजा जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राज्य अतिथियों के प्रवास व परिवहन से सम्बन्धित कोई भी देयक भुगतान हेतु अब आफ-लाइन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, कृपया राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार (प्रवास व परिवहन इत्यादि) से सम्बन्धित देयकों के भुगतान हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रोटोकाल विभाग के ई-प्रोटोकाल पोर्टल (protocol.up.nic.in) के माध्यम से आन-लाइन (online) ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(अजय कुमार ओझा),
उप सचिव।